



महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001



P19/IV/DRSSA/222369

01.01.2025

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Revised rates of dearness relief to Chhattisgarh government pensioners as 50% (in Seventh Pay Scale) and 239%(Sixth Pay Scale) dearness relief w.e.f 01.10.2024- reg

Ref: 1) Govt of Chhattisgarh finance department Order No 835/F-2013-04-00416/Fin/rule/IV dated 30.10.2024

2) No. PA/Chhattisgarh Relief Order/SSA Letter/988 dated 04.12.2024 received from office of the Accountant General(A&E) Chhattisgarh, Raipur.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the office of the Accountant General (A&E), Chhattisgarh regarding above mentioned subject. The same is being placed on the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension - download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Encl: As stated above.

Yours faithfully

R. John
2/1/25

Senior Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram
2. The Office of the Accountant General (A&E)
Chhattisgarh, Raipur-492005
-For Information.

sd/-
Senior Accounts Officer



222369

16-12-24

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL,

(ACCOUNT & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

प्रति,

Chhattisgarh

P19

DRSIA

LV

P19/10/RSSA/105
18112124

दिनांक : 04.12.2024

Date :

1.	वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र.-5, कोषालय भवन, तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	110124
2.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा	520002
3.	O/o The Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh	791110
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी	781029
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, ऑडिट भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	380009
6.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना	800001
7.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं.-4, एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़	160047
8.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
9.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू काश्मीर, एग्जीक्यूशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर	190009
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, रांची	834002
11.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलूर	560001
12.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी.रोड, तिरुवनंतपुरम	695039
13.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)	474002
14.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मेरिन लाइन्स, मुम्बई	400020
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर	440001
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल	795001
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलॉंग	793001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, एजवल	796001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा	797001
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडिसा, भुवनेश्वर	751001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़	160017
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर	302005
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली, पी.ओ.-टाडॉंग, गंगटोक	737102
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई	600018
25.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पो.ओ.-कुजाभवन, अगरतल्ला	799006

26.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून	248171
27.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	226010
28.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	211001
29.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकाता	700001
30.	कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन, नई दिल्ली	110021
31.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, पेंशन अनुभाग, पणजी, गोवा	403101
32.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एवं ट्रेजरी, पाण्डिचेरी सरकार, पाण्डिचेरी	605001
33.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, हैदराबाद	500004
34.	वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, ज्येष्ठ विभाग, त्रिकुट-II भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	110066

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर दिनांक 01.07.2024 से सातवें वेतनमान में 50% एवं छठवें वेतनमान में 239% की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में
संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 835/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 30.10.2024

महोदय,

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबन्धित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें। संबन्धित आदेश की प्रति वित्त विभाग की वेबसाइट finance.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

संलग्न: संदर्भित निर्देश की प्रति

भवदीय

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

दिनांक:

पृ.क्र. पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/

प्रतिलिपि:

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक: 894/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 20.11.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT
MANTRALAYA**

MAHANADI BHAVAN, NAVA RAIPUR ATAL NAGAR

No. 835 /F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Nava Raipur Atal Nagar, Dated 30.10.2024
To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Heads of Department
All Commissioners of Divisions
All Collectors
Chhattisgarh.

Sub -Revised rate of dearness relief to Chhattisgarh Government pensioners.

The State Government had sanctioned 46% (in Seventh Pay Scale) and 230%(in Sixth Pay Scale) dearness relief w.e.f. 01.03.2024 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 144/F 2013-04-00416/Fin./Rule/IV, dated 15.03.2024.

2. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Pay Scale	Date from which payable	Rate of increase in Dearness Relief	Increased Dearness Relief
Seventh Pay Scale	01-10-2024	4% of Basic Pension/ Family Pension	50%
Sixth Pay Scale	01-10-2024	9% of Basic Pension/ Family Pension	239%


3. The above dearness relief shall be payable to the persons receiving Pension, family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Chhattisgarh Government, Finance Department's Memo No. 677/279/2024/ Fin./Rule/IV, dated 23-09-2024 (Finance Circular 07/2024) and Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. (Encl. - Finance Circular 07/2024)

4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Principal Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh


(Dr. A.K. Singh)

Additional Secretary



P. 19
23/791
27/12/24

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL,

(ACCOUNT & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

दिनांक :

Date : 18/12/2024

DRSA IV

प्रति,

1.	वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र.-5, कोषालय भवन, तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	110124
2.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा	520002
3.	O/o The Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh	791110
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी	781029
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, ऑडिट भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	380009
6.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार पटना, बीरचंद पटेल पथ, पटना	800001
7.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं-4, एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़	160047
8.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
9.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू काश्मीर, एग्जीक्यूटिव ट्राउन्ड के निकट, श्रीनगर	190009
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरेंडा, रांची	834002
11.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर	560001
12.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी.रोड, तिरुवनंतपुरम	695039
13.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)	474002
14.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मैरिन लाइन्स, मुम्बई	400020
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर	440001
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल	795001
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलॉंग	793001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, एजवल	796001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा	797001
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडिसा, भुवनेश्वर	751001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़	160017
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर	302005
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराती, पी.ओ.-टाडॉंग, गंगटोक	737102
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई	600018

25.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पो.ऑ.-कुंजभवन, अगरतल्ला	799006
26.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरोत्तर, देहारादून आंबेराय मोटर चिल्लिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहारादून	248171
27.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	226010
28.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	211001
29.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकाता	700001
30.	कंट्रोलर ऑफ अकाउण्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन, नई दिल्ली	110021
31.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, पेंशन अनुभाग, पणजी, गोवा	403101
32.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एवं ट्रेजरी, पाण्डिचेरी सरकार, पाण्डिचेरी	605001
33.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, हैदराबाद	500004
34.	वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यव विभाग, त्रिकुट-II भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	110066

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर दिनांक 01.10.2024 से सातवें वेतनमान में 50% एवं छठवें वेतनमान में 239% की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/ पी.ए./ छत्तीसगढ़ राहत आदेश/ वि.मु.पत्र/977-1011, दिनांक-04.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन हेतु सातवें वेतनमान में 50% एवं छठवें वेतनमान में 239% की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र में त्रुटिबश आदेश लागू होने का दिनांक 01.07.2024 दर्ज कर दिया गया था परन्तु वास्तव में यह आदेश दिनांक 01.10.2024 से लागू होगा। अतः उक्त संदर्भित पत्र में दिनांक 01.07.2024 को दिनांक 01.10.2024 पढ़ा जावे।

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबन्धित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पायती भेजने का कष्ट करें। संबन्धित आदेश की प्रति वित्त विभाग की वेबसाइट finance.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

भवदीय

 वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.
 दिनांक:

पृ.क्र. पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/

प्रतिलिपि:

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक: 894/एफ 2013-04-00416/वि/नि/ चार, दिनांक 20.11.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ता/-
 वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.